



कर्मगार राज्य विमा महामंडळ
श्रम आणि रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
कर्मचारी राज्य विमा निगम
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



का.रा.वि.म. वैद्यकीय महाविद्यालय आणि इग्नालय, अंधेरी
सेंट्रल रोड,एम.आय.डी.सी., अंधेरी (पूर्व), मुंबई -400093
क.रा.बी.नि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल अंधेरी
सेंट्रल रोड,एम.आई.डी.सी., अंधेरी(पूर्व), मुंबई-400093
ESIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL ANDHERI
Central road, MIDC, Andheri East, Mumbai-400093
Phone: 022-2220889641 Email: deanpgi-ane.mah@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

No. 12-1/15/2024-ADMIN

03-06-2026

परिपत्र/CIRCULAR

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, अंधेरी के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि विदेश यात्रा/निजी विदेश भ्रमण हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तावित यात्रा की तिथि से कम-से-कम 60 दिन पूर्व प्रशासन शाखा में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

All Officials/Officers of ESIC Medical College & Hospital, Andheri are hereby informed that applications seeking permission for foreign travel/private visits abroad must be submitted to the Administration Branch at least 60 days prior to the proposed date of travel/journey.

उक्त समय-सीमा प्रस्ताव के समयबद्ध प्रसंस्करण, सभी आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति तथा सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त करने हेतु विदेशी यात्रा संबंधी अनुरोध को निर्धारित समयावधि के भीतर ईएसआईसी मुख्यालय को अग्रेषित करने के लिए आवश्यक है।

The above timeline is necessary to ensure timely processing of the proposal, completion of all requisite formalities, and forwarding of the foreign travel request to ESIC Headquarters within the stipulated time frame for obtaining necessary approval/clearance from the competent authority.

यह देखा गया है कि प्रस्ताव प्रायः अल्प सूचना पर प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसके कारण प्रशासनिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं तथा प्रसंस्करण में विलंब होता है। अतः सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करें।

It has been observed that proposals are often submitted at short notice, resulting in administrative difficulties and delay in processing. Therefore, all concerned are directed to strictly adhere to the prescribed timeline.

निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध रूप से कार्रवाई किया जाना संभव नहीं हो सकता है तथा इससे उत्पन्न किसी भी विलंब के लिए प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा।

Applications received beyond the stipulated period may not be considered for processing in time, and the administration shall not

be responsible for any delay arising thereof.

यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the competent authority.

Digitally signed by
Dipak Bhagwan Bawisane
Date: 03-06-2026
15:24:16

उप निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि :

1. सभी अधिकारीगण/कर्मचारीगण, सूचना एवं आवश्यक अनुपालन हेतु।
2. नोटिस बोर्ड।